उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक B/2214/ चार–12–58/05 जबलपुर, दिनांक 29/**06**/2020

प्रति,

1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
समस्त(म.प्र.)

2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,
(समस्त)

3 सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर,

4 संचालक म.प्र. न्यायिक अकादमी, जबलपुर,

5 प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, ग्वालियर,

6 प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, इन्दौर।

विषयः– उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के सेवा पुस्तिका में उनके परिवार के सदस्यों का नाम व नॉमिनेशन परिवर्तन किये जाने बाबत्।

---000---

उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोध है कि, आपकी स्थापना पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के सेवा पुस्तिका में उनके परिवार के सदस्यों का नाम नियमानुसार जोड़ने व नॉमिनेशन परिवर्तन किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र IFMIS Software के माध्यम से अपडेट कराने तथा अनुमोदन पश्चात् प्रिंटआउट (दो प्रतियों में) रजिस्ट्री को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न किया जा सके। साथ ही यदि माता–पिता का नाम आश्रिता के रूप में जोडना है तो मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ 9–01/2014/सत्रह/मेडि–3 भोपाल दिनांक 28.05.2019 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत करें।

नोटः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक **Reg(IT)(SA)/2018/368** दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे ज्ञापन की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

29.6.2020

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन धुवारे

(567)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

1593
नि.सहा./स्वा.आयुक्त/.........
दिनांक 30/5/19

क्रमांक एफ 9-01/2014/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 28/05/2019

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर मध्यप्रदेश,
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

JD/MR/C/637
30-05-19

विषय : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों की आय सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ : इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2014 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 23.05.2014.

....00.....

प्राप्त दिनांक 28/5/19 5.40 PM

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के नियम-2 में, खण्ड 'घ' में, उपखण्ड (दो) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया गया है-

"स्पष्टीकरण :- 'पूर्णत: आश्रित' से अभिप्रेत है शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य जिनकी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों समय-समय पर यथा विनिश्चत आय सीमा के भीतर हो"

JD(MR)

2/- इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 23.05.2014 द्वारा शासकीय कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों की आय सीमा पेंशन सहित अन्य स्त्रोतों से रूपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) निर्धारित की गई थी ।

30/05/19

3/- राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा सातवां वेतनमान दिया गया है जिससे आय में वृद्धि हुई है किन्तु साथ ही मंहगाई एवं चिकित्सा दरों में वृद्धि हुई है।

30/05/19

30/5/19

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में परिवार की परिभाषा में शासकीय सेवक के माता-पिता को पूर्णतः आश्रित मान्य किये जाने हेतु उनकी अधिकतम आय (पेंशन एवं अन्य साधनों से) रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) अर्थात् 3.00 लाख (तीन लाख मात्र) वार्षिक निर्धारित की जाती है ।

यह स्वीकृति, वित्त विभाग की टीप जावक क्रमांक 1246/1528/2018/वित्त/नियम/चार दिनांक 21/06/2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/5/2019
(बी.आर.सुनहेर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 9-01/2014/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 28 /05/2019

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल म.प्र. (कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें)।
7. समस्त संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें ।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11. आर्डर फाईल ।

28/5/2019
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग